जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 14.10.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 290/24 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री वीर सिंह पुत्र होराम सिंह निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त संदीप उर्फ लहरी पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र अभिषेक उर्फ अप्पू को जान से मारने की नियत से तमंचे से उस पर फायर किया गया जिससे वादी का पुत्र घायल हो गया। तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0- 290/2024 धारा- 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना हल्दौर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त संदीप उर्फ लहरी पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर सहित गिरफ्तार किया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

संदीप उर्फ लहरी पुत्र रामबहादुर सिंह निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमन्चा 32 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 1983 दुष्यन्त कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3. का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हीमपुर दीपा   दिनांक- 14.10.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मु0अ0सं0 156/24 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.10.2024 को वादी ने थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि उसके पुत्र के साथ बाल अपचारी अभियुक्त द्वारा गलत कार्य किया व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 156/24 धारा 115(2)/351(3) बीएनएस व 5M/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

एक बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली टीम :-

1.थाना प्रभारी पुष्पा देवी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

2. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना हीमपुर जनपद बिजनौर

3. का0 2571 सुमित थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

4. का0 2495 विशाल थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना / नजीबाबाद **दिनांक – 14.10.2024**

थाना नगीना एवं थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा धोखाधडी / ठगी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर धोखाधडी पूर्वक हडपे गये कुल 5,77,500 /- रूपये व एक किलो 950 ग्राम (1.950 किलोग्राम) पीली धातु के आभूषण बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण (थाना नगीना) –

दिनांक 11.10.2024 को थाना नगीना पर वादी श्री आकाश अग्रवाल पुत्र सुनील कुमार अग्रवाल निवासी मौ0 मुगलान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा प्रतिवादी मोहनलाल गुजराती पुत्र भीम शंकर निवासी गोरखपुर व तीन अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 04.10.2024 को सोने के जेवरात बेचने के झांसे मे लेकर बयाने के तौर पर पांच हजार रूपये लेने के संबंध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 286/2024 धारा 318(4)/316(2)/317(2)/352/351(2)/62 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण (थाना नजीबाबाद) –

दिनांक 10.10.2024 को थाना नजीबाबाद पर वादी श्री राकेश पुत्र मूला सिंह निवासी मौ0 जाब्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 06.10.2024 को सोने के जेवरात बेचने के झांसे मे लेकर 07 लाख रूपये की धोखाधडी/ठगी किये जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 506/2024 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 14.10.2024 को थाना नगीना पुलिस टीम द्वारा थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 286/2024 धारा 318(4)/316(2)/317(2)/352/351(2)/62 बी0एन0एस0 की घटना मे शामिल अभियुक्तगण 1.मोहनलाल गुजराती पुत्र प्रेम शंकर, 2.शम्भू पुत्र पूरन राय, 3.आकाश माली पुत्र नत्थू माली एवं 4.जमना देवी पत्नी शंकर समस्त निवासीगण मौ0 विजय नगर हनुमान मन्दिर के पास वाली गली नील मथा थाना कैंट जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक किलो 950 ग्राम (1.950 किलोग्राम) पीली धातू के आभूषण व 2500/-रुपये तथा थाना नजीबाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 506/2024 धारा 318(4)/316(2) बी0एन0एस0 से संबंधित 2,75,000/-रुपये बरामद किये गये।

थाना नजीबाबाद क्षेत्र की घटना मे शामिल दो अभियुक्तगण दीपक उर्फ शिवा पुत्र सेवाराम, राहुल उर्फ रोहित पुत्र राजाराम निवासीगगण विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर थाना नजीबाबाद के मु0अ0सं0 506/2024 की घटना से संबंधित कुल 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) बरामद किये गये । विवेचना से उपरोक्त अभियोग की घटना मे अभियुक्तगण 1.मोहन पुत्र प्रेमशंकर, 2.जमना देवी पत्नी शंकर, 3.शम्भूराय पुत्र पूरनराय, 4.आकाश माली पुत्र नत्थू माली, 5.राजो देवी पत्नी मोहन, 6.आशा देवी पत्नी करन, 7.प्रेमा देवी पत्नी रामलाल, 8.प्रभु पुत्र राजाराम, 9.लक्की पुत्र रमेश उर्फ टारजन, 10.दीपक उर्फ शिवा पुत्र सेवाराम, 11.राहुल उर्फ रोहित पुत्र राजाराम निवासीगण विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ के नाम प्रकाश मे आये हैं, जिनमे से अभियुक्तगण 1.दीपक उर्फ शिवा पुत्र सेवाराम, 2.राहुल उर्फ रोहित पुत्र राजाराम 3.मोहन पुत्र प्रेमशंकर, 4.जमना देवी पत्नी शंकर, 5.शम्भूराय पुत्र पूरनराय, 6.आकाश माली पुत्र नत्थू माली समस्त निवासीगण मौ0 विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ को गिरफ्तार किया गया है । शेष 05 अभियुक्तगण 1.राजो देवी 2.आशा देवी 3.प्रेमा देवी 4.प्रभु 5.लक्की फरार हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हमारा 11 लोगों का अपना एक गैंग है तथा सभी आपस मे रिश्तेदार हैं। हम सभी मिलकर आस – पास के जिलों व अन्य प्रदेशों मे जाकर रेलवे स्टेशनों के आस – पास जाकर रुकते हैं तथा लोगों को रेलवे की खुदाई मे निकला हुआ सोना बताकर लोगों को विश्वास मे लेकर नकली सोने के आभूषण को असली सोने का बताकर बेचते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। लोग हमारी बातों पर विश्वास करके नकली सोने को असली समझकर हमसे खरीद लेते हैं क्योंकि उस आभूषण में कुछ भाग असली सोने का होता है जिसे हम उन्हें चैक करने के लिये दे देते हैं। जब खरीदने वाला चैक कराता है तो वह अंश असली सोने का होता है और खरीदार को पूरा विश्वास हो जाता है कि सस्ती कीमत में असली सोना मिल रहा है, इसी कारण से लोग नकली सोने के जेवरों को असली समझकर हमसे खरीद लेते हैं। इससे हमे काफी मोटी कमाई हो जाती है। कुछ दिन पहले हम सभी 11 लोग बिजनौर मे आये थे तथा हम नजीबाबाद मे रेलवे स्टेशन के आस पास अपनी झुग्गी बनाकर उसी मे रहते हैं और आस – पास के कस्बों मे जाकर ग्राहक तलाश करते हैं। दिनांक 06.10.2024 को हमने कस्बा नजीबाबाद के मौहल्ला जाफ्तागंज में रेलवे फाटक के पास से हमने एक किराने की दुकान के मालिक को ऐसी ही नकली सोने के जेवर दिखाकर झांसे मे लेकर उस दुकानदार से सात लाख रुपये ठग लिये थे।

इसी प्रकार मोहनलाल गुजराती, आकाश माली, जमना देवी व शम्भू ने बताया कि दिनांक 04.10.2024 को हम लोग कस्बा नगीना में एक परचूने के दुकानदार आकाश अग्रवाल की परचून की दुकान पर गये थे हमने आकाश अग्रवाल को नकली सोने की मालाएं दिखायी इन मालाओं मे सिरों पर असली सोने के मोती थे वही मोती हमने दुकानदार को चैक कराने के लिये दिया था, चैक कराने पर वह मोती असली निकला और वह मौती हमने वापस ले लिया था, उसी दिन हमारा सौदा दुकानदार से तय हो गया था और बयाने के तौर पर हमने पांच हजार रुपये दुकानदार से लिये थे। तय सौदे के अनुसार उस दुकानदार को दिनांक 10.10.2024 को हमे सोना देना था जब हम सुबह वही नकली सोने का जेवर देने के लिये कस्बा नगीना मे आकाश अग्रवाल के पास आये

थे। जब हम दुकानदार आकाश अग्रवाल के पास जेवर लेकर गये तो दुकानदार को शक हो गया था कि वह जेवर को देखकर कहने लगा कि यह सोने के हार नकली हैं और उसने पूरे जेवर की जांच कराने के लिये कहा था तो हम इसके लिये तैयार नही हुए दुकानदार हमे जबरदस्ती बैठाना चाह रहा था तो हम वहां से धक्का मुक्की कर निकल आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मोहन पुत्र प्रेमशंकर निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
2.जमना देवी पत्नी शंकर निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
3.शम्भूराय पुत्र पूरनराय निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
4.आकाश माली पुत्र नत्थू माली निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
5.दीपक उर्फ शिवा पुत्र सेवाराम निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
6.राहुल उर्फ रोहित पुत्र राजाराम निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ

थाना नजीबाबाद क्षेत्र की घटना में वांछित / फरार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.राजो देवी पत्नी मोहन निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
2.आशा देवी पत्नी करन निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
3.प्रेमा देवी पत्नी रामलाल निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
4.प्रभु पुत्र राजाराम निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ
5.लक्की पुत्र रमेश उर्फ टारजन निवासी विजयनगर हनुमान मन्दिर के पास नीलमथा थाना कैन्ट, लखनऊ

बरामदगी –

05 लाख 75 हजार रूपये नकद।
नकली पीली धातू की माला वजन 01 किलो 950 ग्राम
फर्जी आधार कार्ड कुल 06 अदद।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम –

1.व0उ0नि0 श्री इलम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर
4.हे0कां0 570 जफर हुसैन थाना नगीना जनपद बिजनौर
5.कां0 1834 सचिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर
6.म0कां0 1005 रीता थाना नगीना जनपद बिजनौर
7.हे0कां0 647 यशवीर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8.कां0 2056 अरूण थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9.कां0 2029 अंशुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर दिनांक- 14.10.2024

थाना हल्दौर पुलिस ने दो अभियुक्तो को चोरी के पशु बिक्री से प्राप्त 92010/- रूपये की नगदी व पशु चोरी की घटना मे प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.10.2024 को वादी मनोज कुमार पुत्र फकीर चन्द निवासी ग्राम धनौरी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि 1.नदीम पुत्र इरफान 2.सुहैल पुत्र इरफान निवासीगण ग्राम गांगू नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व एक अन्य व्यक्ति द्वारा वादी की तीन भैंसो को चोरी कर लिया गया। इस संबंध मे थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0- 287/2024 धारा-305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त पवन पुत्र बदलचन्द निवासी ग्राम ढेला गुर्जर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाहीः-

थाना हल्दौर पुलिस ने उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1.नदीम पुत्र इरफान निवासी ग्राम गांगू नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर व 2.पवन पुत्र बदलचन्द निवासी ग्राम ढेला गुर्जर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से 92010/- रूपये की नगदी व पशु चोरी की घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन टाटा ऐस रजि0 नं0 UP20BT-0741 को बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गई। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

नोटः- अभियुक्त सुहैल पुत्र इरफान निवासी ग्राम गांगू नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि अभियुक्त नदीम अपने भाई सुहैल के साथ पशु खरीदने-बेचने का काम करता है। करीब 01 सप्ताह पहले वह ग्राम धनौरी पशु खरीदने गया था। धनौरी में गांव के बाहर एक घेर में तीन भैंसे थी जिनको खरीदने की बात उसने भैंसे मालिक से की तो भैंस मालिक ने भैंस बेचने से मना कर दिया। लालच मे आकर उसने अपने भाई सुहैल व उसके ग्राम ढेला

गुर्जर के रहने वाले दोस्त पवन पुत्र बदल चन्द जो एक छोटा हाथी (पिकअप वाहन) किराये पर चलाता है, के साथ मिलकर उन भैंसों को चुराने का प्लान बनाया। योजनानुसार उन्होने तीनो भैंसो को चुराकर पिकअप वाहन मे लादकर बिजनौर पैठ ले गए जहां पर उन्होनो किसी अज्ञात व्यक्ति को तीनो भैंस 1,17000/- रु0 में बेच दी। कुछ पैसा उन्होने खर्च कर लिया, जो पैसे उनसे बरामद हुआ है, यह उन्ही तीन भैसों की बिक्री से प्राप्त पैसों मे से शेष बचे हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.नदीम पुत्र इरफान निवासी ग्राम गांगू नगला थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2.पवन पुत्र बदलचन्द निवासी ग्राम ढेला गुर्जर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

92010/- रूपये की नगदी व चोरी की घटना मे प्रयुक्त एक पिकअप वाहन टाटा ऐस रजि0 नं0 UP20BT-0741 ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नदीम उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 59/15 धारा-3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व धारा 420 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0-26/19 धारा-3/5/8 गोवध अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0सं0-109/19 धारा-3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0-52/20 धारा-20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0सं0-61/20 धारा -3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
6. मु0अ0सं0-58/23 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट व 10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 1970 थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
7. मु0अ0सं0-287/24 धारा-305ए/317(2) बीएऩएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

पुलिस टीम :-

1. म0उ0नि0 श्रीमती अन्नु थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

3. का0 142 मुनेन्द्र कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

4. का0 262 अंकुर जावला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

5. का0 628 आशीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा **दिनांक – 14.10.2024**

थाना स्योहारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 503/24 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस में बरती गई लापरवाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा थानाध्यक्ष, स्योहारा सहित 04 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।

अवगत कराना है दिनांक 13.10.2024 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को दीपक पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम मुण्डाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर अपने अन्य साथियों के सहयोग से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 503/24 धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा अभियोग की विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार के सुपुर्द की गयी थी। पीडिता की बरामदगी हेतु उ0नि0 सुनील कुमार, मुख्य आरक्षी राजीव व महिला आरक्षी अन्नू के साथ थाना क्षेत्र में रवाना किया गया था। उक्त प्रकरण में सूचना प्राप्त हुई कि उ0नि0 सुनील कुमार द्वारा रात्रि में अपहृता काजल व आरोपी दीपक उपरोक्त को बरामद कर परिजनों के साथ जनपद शामली स्थित अपने आवास पर ले जाया गया।

आज दिनांक 14.10.2024 को उ0नि0 सुनील कुमार के जनपद शामली स्थित आवास पर आरोपी दीपक की मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात करने हेतु जनपद शामली पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण में पुलिसकर्मियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न कर बरती गयी लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, जनपद बिजनौर की प्रारंभिक जांच आख्या के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा 1.उपनिरीक्षक अवनीत मान, थानाध्यक्ष स्योहारा, 2.उ0नि0 सुनील कुमार मिठालिया, 3.मुख्य आरक्षी राजीव व 4.महिला आरक्षी अन्नु को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया तथा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 14.10.2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने छिनैती की दो घटनाओं का अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को छीने गये 02 मोबाइल फोन, नगदी एवं घटनाओं में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.08.2024 को वादी इरशाद पुत्र रईस निवासी ग्राम कुम्हेडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.08.2024 को वादी तथा वादी का भाई अजीम दूध लेकर किरतपुर गये थे कि आर0के0 इन्टरनेशनल स्कूल के पास पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार 04 युवकों ने उनकी बाइक पर डन्डा मारकर रोका गया तथा उनसे 1550 /- रुपये छीन लिये। इस संबंध मे थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 341/24 धारा 309(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

दिनांक 13.10.2024 को वादी श्री सर्वेश कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम महेशपुर खेडी, भोजपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 22.08.2024 को वादी किरतपुर से अपने घर जा रहा था कि 02 मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी से दो मोबाइल फोन (सैमसंग F-12 व सैमसंग गुरु की-पैड) व मोबाइल के कवर में रखें 900 /- रुपये भी छीन लिये। इस संबंध मे थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 388/24 धारा 304(2) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों में 05 अभियुक्तगण 1.आशू पुत्र शुकर चन्द निवासी ग्राम महमूदपुर मिल्क उर्फ बच्चावाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर 2.मनीष पुत्र ध्यानसिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3.सचिन पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 4.सौरभ पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 5.आदित्य पुत्र मनोज निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आयें।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोगों में प्रकाश में आये सभी 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से दोनो घटनाओं में छीने गये सैमसंग के दो मोबाइल फोन, लूटे / छीने गये कुल 2400 /- रुपये नगदी व घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल बरामद की गयी। गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गयी है। अभियुक्तगण को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हम सभी ने मिलकर दिनांक 22.08.2024 की रात में समय करीब 09.00 बजे कुम्हैडा रोड पर आम के बाग के पास से दूधिया की मोटर साइकिल रोककर उससे 1500/- रूपये लूट लिये थे और फिर हम लोग किरतपुर कस्बे की ओर मोतीचूर तिराहे से होते हुए मौज्जमपुर रोड पर गांव भोजपुर की ओर चल दिये थे तथा ग्राम खेडी से वापस किरतपुर की ओर आने लगे तो गांव रामपुर आशा के पास उसी रात में समय करीब 10.00 बजे सड़क किनारे अपनी मोटर साइकिल के पास खडे होकर फोन पर बात कर रहे एक व्यक्ति से दो मोबाइल फोन, जिनमें एक सैमसंग एन्ड्रोएड मोबाइल को उसके कवर में रखे 900/- रूपये सहित व दूसरा सैमसंग गुरू की-पैड फोन छीनकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.आशू पुत्र शुकर चन्द निवासी ग्राम महमूदपुर मिल्क उर्फ बच्चावाला थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2.मनीष पुत्र ध्यानसिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.सचिन कुमार पुत्र महिपाल सिंह निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.सौरभ पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5.आदित्य पुत्र मनोज निवासी ग्राम छितावर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

1.सैमसंग के दो मोबाइल फोन (एंड्रॉयड व की-पैड)
2.लूटे / छीने गये कुल 2400/- रुपये नगदी
3.घटनाओं में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल सूपर स्पलैण्ड प्लस रजि0सं0 UP20CL2338 तथा एक मोटरसाइकिल सूपर स्पलेण्डर बिना नंबर प्लेट

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त आशू उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 341/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएऩएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 388/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त मनीष उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 341/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएऩएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 388/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त सचिन उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 174/2023 धारा 323/336 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 341/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 388/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त सौरभ उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 415/2023 धारा 323/324/427/504/506 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 257/2024 धारा 323/504/506 भादिव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0सं0 341/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएऩएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0सं0 388/2024 धारा 304(2) /317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त आदित्य उपरोक्त –

1.मु0अ0सं0 341/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएऩएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0सं0 388/2024 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.श्री जयभगवान सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
1.व0उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री आशीष पुनिया थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 538 उपेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5.कां0 2138 गौरव तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
6.कां0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
7.कां0 1891 विकास रावत थाना किरतपुर जनपद बिजनौर